इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 फरवरी 2011—माघ 19, शक 1932

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2011

सूचना

क्र. एफ-2-2-11-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक, 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि संशोधन के उक्त प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(9) **चयन का मापदण्ड.**—संविदा शाला शिक्षक के नियोजन तथा अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी.".

2. नियम 12 में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(घ) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, एक वर्ष में तेरह दिन के आकस्मिक अवकाश और तीन दिन के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा. महिला "संविदा शाला शिक्षक" की दशा में, वह एक सौ अस्सी दिन के

मातृत्व अवकाश की हकदार होगी तथा पुरुष ''संविदा शाला शिक्षक'' की दशा में, वह पन्द्रह दिन के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा, किन्तु कोई भी ''संविदा शाला शिक्षक'' किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा.''.

3. अनुसूची-दो में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 में, कालम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी. एड. या उसके समकक्ष.''.

(दो) अनुक्रमांक 2 में, कालम (5) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या उसके समकक्ष;

या

संबद्ध विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा बी. एड.

या

संबद्ध विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार बी. एड.

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा (बी. एल. एड.) में स्नातक.

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा बी. ए./बी. एस. सी., बी. एड. के साथ संबद्ध विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि.

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा बी. एड. (विशेष शिक्षा).''.

(तीन) अनुक्रमांक 3 में,—

(क) कॉलम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).

या

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा (बी. ई. एल. एड.) में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि.

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)'';

(ख) कालम (7) में, मद 3 के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ा जाए, अर्थात् :—

" 4. संविधा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (प्रयोगशाला) के लिए न्यूनतम अर्हता , विज्ञान विषय के साथ हायर सेकण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा या उसके समकक्ष होगी.";

(चार) शीर्षक "नोट (क) अर्हताएं" के अधीन,—

(क) खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त किए गए मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालीन शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में पन्द्रह वर्ष की छूट दी जाएगी.";

(ख) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :— "(9) विधवा अथवा तलाकशुदा अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में, अन्य छूट के अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट होगी.

(10) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए फिर से आवेदन करते हैं, तो वे अधिकतम आयु सीमा में उतनी कालावधि की सीमा तक छूट के हकदार होंगे जितनी कि उन्होंने पूर्व में व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक के रूप में कार्य किया है बशर्ते कि उनका कार्य असंतोषजनक पाए जाने के आधार पर उनकी संविदा समाप्त न की गई हो".

यह संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2011

पृ. क्र. एफ-2-2-2011-बाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-2-2011-बाईस-पं.-2, दिनांक 8 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2011

NOTICE

No. F-2-2-11-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, for sub-rule (9), the following Sub-rule shall be substituted, namely:—

" (9) **Criterion of Selection**:—The procedure of employment of Samvida Shala Shikshak and preparation of merit list of the candidates belonging to unreserved category, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes may be specified by executive order of the State Government.".

2. In rule 12, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

" (d) A person employed under these rules shall be entitled to thirteen days casual leave and three days optional leave in a year. In case of women "Samvida Shala Shikshak". she shall be entitled to one hundred eighty days maternity leave and in case of male " Samvida Shala Shikshak" he shall be entitled to fifteen days paternity leave, but no "Samvida Shala Shikshak' shall be entitled to any other kind of leave.".

3. In Schedule II,

(i) In serial number 1, in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:–

" Masters Degree in the relevant subject with Bachelor of Education (B.Ed.) of its equivalent." ;

(ii) In serial number 2, in column (5), for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:–

Bachelor Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent.

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.).

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B.Ed.).in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Bachelor in Elementary Education (B.El. Ed.).

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject with Bachelor in Education (B.A/B.Sc.Ed.)

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (Special education).";

(iii) in serial number 3,—.

(a) in column (5) for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:—

"Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 45% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 4 years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Education (Special Education) ." ;

(b) In column (7), after item 3, the following item shall be added, namely:—

"4. The minimum qualification for sambida shala Shikshak Grade-3 (Laboratory) shall be Higher Secondary Certificate "Examination with Science subjects or equivalent.";

(iv) under the heading "Note (a) Qualification,—

(a) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—

"(4) The Honorary Teachers appointed for Government schools and part time teacher of Vocational Education shall be given fifteen years relaxation in maximum age limit of 35 years.";

(b) After clause (8), the following clauses shall be added, namely:—

"(9) Widow and Divorcee candidate shall have five years relaxation in maximum age limit in addition to other relaxation.

(10) The candidate who have worked as part time teacher of Vocational Education and who apply fresh for employment as Samvida Shalal Shikshak shall be entitled to relaxation in maximum age limit to the extent of the period they have worked previously as part time reacher of Vocational Education, provided their contract was not terminated due to their work being found unsatisfactory.".

This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
URMILA SHUKLA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्र. एफ-2-2-11-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2008 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक, 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि संशोधन के उक्त प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, अनुसूची दो में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 में कॉलम (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर, उपाधि के साथ बी. एड. या उसके समकक्ष.

(दो) अनुक्रमांक 2 में, कालम (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या उसके समकक्ष.

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि और बी.एड.

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि और एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानक तथा क्रिया विधि) विनियम, 2002 के अनुसार बी.एड.

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल. एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा और संबद्ध विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ बी.एड. (बी.ए./बी.एस.सी.बी.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि और बी.एड. (विशेष शिक्षा).";

(तीन) अनुक्रमांक 3 में,—

(क) कालम (3) में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा एन.सी.टी.ई (मान्यता मानक तथा क्रिया विधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा (बी.ई.एल.एड.) में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि.

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र (या उसके समकक्ष) और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में पत्रोपाधि (डिप्लोमा).".

(ख) कॉलम (4) में, मद 3 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाए, अर्थात् :—

4. सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला) के लिए न्यूनतम अर्हता, विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष होगी और शिक्षण प्रशिक्षण अर्हता आवश्यक नहीं है.";

(चार) शीर्षक "नोट" के अधीन, अनुक्रमांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"4. संबद्ध विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा बी. एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) दिनांक 1 जनवरी, 2012 तक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति का भी पात्र होगा, बशर्ते कि उसने नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्रारंभिक शिक्षा में 6 मास का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.आई.) द्वारा अनुमोदित 6 मास का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम (विशेष बी.टी.सी.) प्राप्त कर लिया हो.".

यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2011

पृ. क्र. एफ-2-2-2011-बाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-2-2011-बाईस-पं.-2, दिनांक 8 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2011

No. F-2-2-11-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in Schedule II,—

(i) In Serial number 1, in Column (3), for existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

Masters Degree in the relevant subject with Bachelor of Education (B.Ed) or its equivalent.";

(ii) In Serial number 2, in Column (3), for existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Bachelor Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent.

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Beachelor in Education (B.Ed.)

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Beachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject with Bachelor in Education (B.A./B.Sc.Ed.)

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (Special Education).";

(iii) In serial number 3,

(a) in column (3), for existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 45% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 4 years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

"Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivlent) and 2 years Diploma in Education (Special Education).";

(b) in column (4), after item 3, the following item shall be added, namely:—

" 4. The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Laboratory) shall be Higher Secondary Certificate Examination with Science subjects or equivalent and the Teaching Training qualification is not necessary.";

(iv) Under the heading "Note", after serial number 3, the following serial number shall be added, namely:—

"4. Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.)/B.Ed. (Special Education) shall also be eligible for appointment as Sahayak Adhyapak upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment NCTE recognized 6 month special programme in Elementary Education or 6 months special Basic Teacher Course (special BTC) approved by the NCTE.".

This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
URMILA SHUKLA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.